

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मदेइनिशियल्स

नम्बर व
अहकाम
हुक्म की
में जारी

रवाते दार का 1/2 का (कोपित किया जाता है)
तथा 3/4 से। ता 3 का 1/2 हिस्से को
राजस्व रिक्वाइरमेंट्स हजफ किया जाता है
इसी अनुसार फर्क डिग्री जारी हो। फर्क
केवल शुमा होना नम्बर के कम हो रहा
था 4 राभील तक मील हा खिल फर हो

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सपोटरा जिला करौली
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी- श्री ओमप्रकाश मीना आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी सपोटरा।
उनवान

1. सुन्दर	पुत्रान जोहरया
2. काडूलाल	
3. छूटनलाल	
4. कमरो	
5. सीमा	

जाति मीना निवासी जोड़ली तहसील सपोटरा
जिला करौली राजस्थान।

-वादीगण

बनाम

01. रामखिलाड़ी	पुत्रान हजारी मीना
02. लटूरलाल	
03. राजूलाल	
04. धप्पो पत्नि बजारी जाति मीना	
05. तहसीलदार सपोटरा जिला करौली(राज0)	

निवासी जोड़ली तहसील सपोटरा जिला करौली राज0

-प्रतिवादीगण

रावा बाबत:- वाद पत्र घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88,188 आर.टी.एक्ट

क्रमांक नम्बर:- 22/21

नेर्णय दिनांक:- 04.10.2021

वादीगण की ओर से सुन्दर वगै0 की एवं प्रतिवादीगण की ओर से रामखिलाड़ी वगै0 की उपस्थिति मे इस वाद मे आज तारीख 04.10.2021 को श्री ओमप्रकाश मीना आरएएस उपखण्ड अधिकारी सपोटरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दे जाती है कि-

दावा वादीगण मुताबिक बंटवारा स्कीम डिक्री किया जाकर विवादित आराजी क्रसरा नं0 826 रकबा 04 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम जोड़ली तहसील सपोटरा जिला करौली में वादीगण को हिस्सा 1/2 का (हिस्सा 1/95 चाह का छोडते हुए) खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी सं0 1 ता 3 का हिस्सा 1/2 राजस्व रिकार्ड से हजफ किया जाता है।

खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगें।

यह आज तारीख 04.10.2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(ओमप्रकाश मीना आरएएस)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर सपोटरा

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टॉम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टॉम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टॉम्प		अर्जी के लिए स्टॉम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टॉम्प		प्लीडर की फीस	
4.रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमीशनर की फीस		कमीशनर की फीस	
7. आदेशिका की तामील			
जोड़		जोड़	